



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
आई.एस.ओ. 9001:2015 द्वारा प्रमाणित
Certified with ISO 9001:2015



क्षेत्रीय कार्यालय (दिल्ली) / Regional Office (Delhi)
तृतीय एवं चतुर्थ तल, राजेंद्र भवन, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
3rd and 4th Floor, Rajendra Bhawan
Rajendra Place, New Delhi - 110008
Phone: 011-25734381, 25745044 Email : rd-delhi@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

फा ०सं० 111-A-33/16/01/LDC/2022Admn-2(E:91391)

दिनांक:18-12-2025

वर्ष 2025 का कार्यालय आदेश संख्या: 253 (प्रशासन-2)

निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली, क्षेत्र के लिए दिनांक 27/03/2025 को आयोजित अनुपूरक विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर तथा स्थापना-5, मुख्यालय कार्यालय से स्वीकृति के पश्चात, सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित तदर्थ अवर श्रेणी लिपिक (Adhoc LDC) को उनके वर्तमान स्थान पर अवर श्रेणी लिपिक (LDC) के पद व वेतन लेवल-2 पर नियमित पदोन्नति करने का अनुमोदन दिया है-

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम व पदनाम (सर्व/श्री/श्रीमती/सुश्री)	कर्मचारी आई०डी०	श्रेणी	चयनित श्रेणी	वर्तमान तैनाती स्थल
1.	संजय पार्चा, तदर्थ अवर श्रेणी लिपिक	137362	SC	UR	क.रा.बी.ओ. द्वारका

उपरोक्त तदर्थ अवर श्रेणी लिपिक (Adhoc/ LDC) की अवर श्रेणी लिपिक (LDC) के पद पर नियमित पदोन्नति दिनांक-01/12/2025 से प्रभावी होगी (बशर्ते वह पदोन्नति स्वीकार करें एवं उक्त दिनांक को उपस्थित हों)।

उपरोक्त कर्मचारी नियमित पदोन्नति के लिए अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति तुरंत प्रस्तुत करेंगे। यदि कोई कर्मचारी नियमित पदोन्नति स्वीकार नहीं करता है, तो नियमानुसार पदोन्नति से इंकार करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए उस कर्मचारी की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त कर्मचारी अवर श्रेणी लिपिक (LDC) के पद पर पदोन्नति होने पर वेतन लेवल-2 के न्यूनतम वेतन रु. 19,900/- में अथवा वर्तमान वेतन, जो भी अधिक हो, लेने के तब तक हकदार होंगे जब तक कि उपरोक्त संवर्ग में उनका वेतन, नियमों के अंतर्गत यदि निर्धारित होना हो, न हो जाए।

उपरोक्त कर्मचारी, नियम-13, केंद्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियमावली 2016 के अंतर्गत वेतन निर्धारण नियम मूल नियमावली (एफ.आर.) FR-22-(I)(a)(1) के अन्तर्गत इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण का विकल्प चुन सकते हैं। इन पर सेवा की वही शर्तें लागू होंगी, जो कि इस श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होती है और समय-समय पर संशोधित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (स्टाफ और सेवा शर्तें) विनियमावली, 2023 में निहित हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अवर श्रेणी लिपिक (LDC) (समूह "ग" पद) भर्ती विनियम, 2021

के अनुसार-

1. अवर श्रेणी लिपिक (LDC) के पद पर पदोन्नति कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अवर श्रेणी लिपिक (LDC) के पद पर पदोन्नति के लिए तैयार प्रशिक्षण को पूरा करने के शर्ताधीन होगी।
2. दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को इस प्रशिक्षण को पूरा करने से छूट होगी।
3. उपरोक्त कर्मचारियों में से जिसने विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पहले पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, उन सभी कर्मचारियों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर क.रा.बी.निगम द्वारा तैयार प्रशिक्षण को पूरा करना अनिवार्य है।

यह पदोन्नति के आदेश दिल्ली क्षेत्र में कॉमन कैडर/वरीयता के संबंध में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi) में लंबित कोर्ट केस सं. O.A. No. 3749/2018 तथा कोर्ट केस सं. O.A. No. 1565/2020 के मामले में पारित किए जाने वाले आगे के आदेशों के अधीन होगी जैसा कि डी.ओ.पी.टी. के द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/11/2016-Estt.(Res-I)(Pt-11) दिनांकित 15/06/2018 में उल्लेख किया गया है।

अनुपालना रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी के अवलोकनार्थ इस कार्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करें।

(पुनीत कुमार गोविन्द)
उप निदेशक (प्रशासन-2)

संबंधित कर्मचारी।

(को इस निर्देश के साथ कि वह अपनी स्वीकृति/कार्यग्रहण रिपोर्ट अथवा अस्वीकृति रिपोर्ट को अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से प्रशासन-2 शाखा, क्षेत्रांका दिल्ली में शीघ्र प्रस्तुत करें।)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. संबंधित कर्मचारी को उनके वर्तमान नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से।
2. महानिदेशक (स्थापना-5), मुख्यालय, कं०रा०बी० निगम, सी०आई०जी० मार्ग, नई दिल्ली-110002
3. निजी सजिव, क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली।
4. निजी सजिव/प्रधान निजी सचीव, निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली।
5. सहा. निदेशक, लेखा शाखा (चि.)/रोकड शाखा (चि.)/स्था. शाखा-1 (चि.)/स्था. शाखा-2 (चि.), निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली।
6. चिकित्सा प्रभारी/ बीमा चिकित्सा अधिकारी, सभी अस्पताल/औषधालय।
7. स्था.-2 (चि.) गृह निर्माण अग्रिम/क.रा.बी.निगम (चि.) प्रशिक्षण/जी.एस.एल.आई./वेतन निर्धारण।
8. शाखा अधिकारी (आई०टी० सैल) को क्षेत्रांका दिल्ली की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
9. वैयक्तिक फाइल/कार्यालय आदेश फाइल/गार्ड फाइल।